एन. सी. एल. द्वारा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर २०१७-१८फेज –II केमाध्यम से कोयलें की बिक्री की सूचना NOTIFICATION FOR SALE OF COAL BY NCL THROUGH SPECIAL FORWARD e-AUCTION SCHEME FOR POWER PRODUCERS FOR FY 2017-18 PHASE –II

NCL/SGR/Sales/17-18/ 939

Dated: 09.09.2017

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, म. प्र. स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर (सी. पी. पी. के अतिरिक्त)फेज-[(अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एव संशोधन दिनांक ११.०.२०१६, १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६, १०.०६.२०१६, ११.०७.२०१६, ११.०७.२०१६, ११.०७.२०१६, ११.०७.२०१६, ११.०७.२०१६, ११.०५.२०१६ सी.आइ.एल./ एन.सी.एल. एवं सेवा प्रदायकर्ता सर्व श्री एम जंक्सन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्धहै) के माध्यम से "कोयले" की बिक्री का प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें भारत में स्थापित सभी विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos) एवं बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादक भाग ले सकते है और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरीये कोयला प्राप्त कर सकता है! स्कीम के तहत खरीदे गये कोयले को किसी भी स्थिति में हस्तांतरित या पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता है!

Northern Coalfields Limited, Singrauli MP proposes to sell coal through Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers, Phase-II (Scheme Notified dated 31.10.2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016 & amendments dt 12.04.2016, 10.05.2016, 10.06.2016, 21.07.2016, 11.08.2016& 18.11.2016 available at websites of CIL/NCL i.e. www.coalindia.in.www.nclcil.in and Service Provider i.e. www.mstcecommerce.com) wherein 'All Power Producers (IPPs/State Gencos), including Biomass based power plants already commissioned, desiring supply over a long period can participate for procurement of coal for own consumption only, and not for transfer or re-sale.

ऑक्सन में दिये जा रहे कोयलें के रिजर्व मूल्य का निर्धारण निम्नवत है-

विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos) के लिये: रिजर्व मूल्य पॉवर सेक्टर के निर्धारित मूल्य से १०% उपरहोगा!
Reserve Price of coal for power producers (IPPs/State Gencos): The reserve price shall be 10% over the notified price applicable for the Power Sector.

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर २०१७-१८ फेज-11 का विस्तित कार्यक्रम निम्नवत है-The schedule for sale of coal through electronic bidding through Special Forward e- Auction Scheme for Power Producers (excluding CPPs)FY 2017-18 Phase –II from NCL mines is as under:

दिनांक व समय Date&Time	स्रोत Source	मात्रा (मी.टन.) Quantity (MT)/ रेक संख्या No. of Rakes	ग्रेड/ जी सी वी/ साइज Grade/GCV/Size	मूल्य (रू./ मि.टन.) Price (Rs/Te)			
				Notified Price	Reserve Price	माध्यम Mode	सेवा प्रदायकर्ता Auctioneering Agency
	अमलोरी Amlohri	3,00,000 tes.	G-7/5201-5500/ Crushed (-250mm)	1600/-	1760/-		
ર ધ.૦૧.૨૦૧७ 25.09.2017 (Timing will be announced by Service Provider)	जयंत (वेस्ट स्टॉक यार्ड) Jayant (West Stock Yard)	3,00,000 tes.	G-10/4301-4600/ Crushed(-250mm)	980/-	1078/-	सड़क/ सड़क- सह रेल Road/ Road- cum Rail	सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड M/s Mjunction Services Ltd.
	बीना Bina	3,00,000 tes.	G-10/4301-4600/ Crushed (-250mm)	980/-	1078/-		
	दुधिचुआ (Dudhichua)	2,00,000 tes.	G-10/4301-4600/ Crushed (-250mm)	980/-	1078/-		
	जयंत (ईस्ट स्टॉक यार्ड) Jayant (East Stock Yard)	2,00,000 tes.	G-10/4301-4600/ Crushed (-100mm)	980/-	1078/-		

सड़क माध्यम से खरीदे गये कोयले के मूल्य का समयानुसार भुगतान करने के पश्चात कोयले को उठाने की वैधता ३१ मार्च २०१८ तक होगी तथा आखिरी माह की नियत मात्रा के उठाव के लिए वैधता मार्च २०१८ माह के उपरांत ४५ दिन तक रहेगी। रेल माध्यम से रेक अलाट्मेंट लेने की वैधता माह की किशत जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिन तक रहेगी जबकि सप्लाई रेलवे के नियमों के अनुसार होगी। प्रकिया की अधिक जानकारी के लिये कृपया स्कीम पढें!

Validity period for road borne lifting against the successful quantity shall be till 31stMarch 2018. The validity period for lifting of the quantity allocated in March' 2018(last month of the lifting period April' 17 To March' 18), shall be 45 days beyond March' 2018, provided the coal value is paid against the Bid Quantity in due time. However in case of supply by Rail Mode validity for taking allotment will be within 30 days of the last date of paying instalments of coal value for the month. The supply, however, will be made as per extant Railway rules.

Pre-requisite conditions for participation in Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers excluding CPPs, Phase-II (Scheme Notified dated 31.10.2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016& amendments dt 12.04.2016, 10.05.2016, 10.06.2016, 21.07.2016, 11.08.2016 & 18.11.2016) are as follows:

-2-

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर, फेज़-॥ (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर, (अधिसूचना दिनांक११.०४.२०१६एवं संशोधन दिनांक १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६, १०.०६.२०१६, २१.०७.२०१६, ११.०८.२०१६ तथा १८.११.२०१६) सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये शर्ते/योग्यताये निम्नवत है.-

पंजीयन/Registration: 1.

उपभोक्ता को <u>स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर</u> मे भाग लेने के लिये स्वयं को सेवा प्रदायकर्ता जो कि सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड है से पंजीक्रित होना आवश्यक है। पंजीकरण स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम के खंड २ एवं ३ के अनुसार है। उपभोक्ता पंजीकरण सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड के साथ २३.०९.२०१७ तककरवा सकते हैं ।पंजीकरण सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये कृपया श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेडकी वेबसाइट www.coalljunction.in पर जायें.

Consumers can participate in Special Forward e-Auction by registering themselves with the respective Auctioneering Agency i.e. M/s MSTC Limited as per Clause no. 2 & 3 of Special Forward e-Auction Scheme. For more details kindly log on to website of Service Provider i.e. www.coaljunction.in Eligible buyers may register themselves with Service Provider till 23.09.2017. The already registered buyers under special forward scheme are also eligible to participate in the said e-auction.

प्रभावी कर तथा अन्य टैक्स, रिजर्व मुल्य के अतिरिक्त देय होगा ।

Reserve prices are excluding levies and statutory charges as applicable.

- EMD की राशीऑक्सन के पूर्व सेवा प्रदायकर्ता के पास जमा करना होगा । EMD की राशी विक्रय के लिये दिये गये कोयले के रिजर्व मूल्य के १०% के बराबर होगी। EMD (डिमाड डाफ्ट, आर. टी. जी. एस. इत्यादि) के रुप मे २३.०९.२०१७ जमा करवा सकते हैं. EMD को बैक गारन्टीके रुप में ऑक्सन से आठ दिन पूर्व (१६.०९.२०१७) तक सेवा प्रदायकर्ता जो कि श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड के पास जमा करवा सकते हैं बैक गारन्टीके रुपमे EMD रिजर्व मूल्य के २०% के बराबर होगी!
- All interested registered consumers shall be required to deposit in advance non-interest bearing EMD with respective Service Provider for such an amount as would cover 10% of the reserve price (of e-Auction concerned) for intended bid quantity in terms of basic price of coal, the last date for submission of EMD (in the form of Demand draft, RTGS etc will be 23.09.2017. Consumers can also deposit EMD in the form of Bank Guarantee (BG) equivalent to 20% of the reserve price by 16.09.2017 i.e. eight (8) days prior to auction date.स्पेशलफॉरवर्ड ई-ऑक्सनस्कीममेन्युनतमबिड मात्रा सडक के माध्यम से ४००० टन एवं इसके पश्चात ४००० टन के गुणक मे होगी। Minimum Bid quantity shall be 4000 MT and in multiple thereafter for a source by Road Mode.

कोयले के मूल्य का भुगतान/Deposition of Coal Value: 5

सफल बोलीकर्ताकोयले के मूल्य का भुगतान निम्नलिखित किसी एक एन.सी.एल., सी.एस.आर. खाते मे आर.टी.जी.एस./ इ.सी.एस./ डी.डी./ बैंकर्स चेक के माध्यम से करेगा

Successful Bidders shall deposit Coal value in any of the following NCL CSR accounts through Draft/ RTGS/ ECS/ Banker's Cheque at the office of General Manager (M&S), NCL Singrauli at the following banks.

क्रमांक S.No.	बैंककानाम Name of the Bank	शाखा Branch	आइ.एफ.एस. कोड IFS code	खातासंख्या Account No.
1	भारतीयस्टेटबैंक State Bank of India	मोरवा Morwa	SBIN0003767	10773219417
2	इलाहाबादबैंक Allahabad Bank	मोरवा Morwa	ALLA0210254	50066405613
3	युनियनबैंकऑफइंडिया Union Bank of India	मोरवा Morwa	UBIN0539171	391701010129658
4	एक्सिस बैंक Axis Bank	मोरवा Morwa	UTIB0001725	915020064361678

प्रत्येक सफल बोली के लिये फाईनेन्सियलकवरेज की राशी महाप्रबन्धक (विपणन एवं विक्रय) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय मेंऑक्सन तिथि के बाद से

All the prospective buyers may please note that the value of financial coverage for each successful bid will be available at office of General Manager (M&S), NCL, Singrauli after e-auction.

उपभोक्ता ऑक्सन तिथि से ७ दिनों के अंदर अपने द्वारा बुक की गयी कोयले की मात्रा का माहवार विभाजन (सिम्तवर २०१७ से मार्च २०१८ तक) कोल कम्पनी को जमा करेगा ! उपभोक्ता अपने अनुसार, माह में आवंटित की गयी कोयले की मात्रा का भुगतान २ किस्तों में कर सकता हैं । उपभोक्ता को पहली किस्त का भुगतान हर माह के पहले १० कार्यदिवस के अंदर करना होगा और दूसरी किस्त का भुगतान उक्त माह केअंत तक करना होगा । कोयले की मात्रा का माहवार (सिम्तबर २०१७ से मार्च २०१८ तक) विभाजन कोल कम्पनी एवं उपभोक्ता के पारस्परिक निर्णय से होगा।

(विगत कुछ ई-ऑक्सन के दौरान विफल हुये लेन-देन को ध्यान में रखते हुये एन.सी.एल. अपने ग्राहको से निवेदन करता है कि ग्राहक अपने बैंक से लेन-देन के पश्चात लेन-देन की सफलता की जानकारी अवश्यलें. एन.सी.एल. किसी भी प्रकार से गलत या विफल लेन-देन का जिम्मेदार नहीं होगा.)

Time for depositing the Coal Value: Bidders after successful bidding will give a declaration to respective coal company for distributing the aggregated quantity between Sep' 17 - March' 2018 within 7 days from date of auction. Payment of Coal value to be made on monthly basis in two instalments as per bidder's choice. The first instalment shall be deposited within 10 working days from the starting of the month and the second instalment by the end of that particular month. Monthly distribution shall be mutually agreed by Bidder as well as coal company. (In view of the frequent transaction failure during last few e-auctions, customers are requested to confirm remittance of coal value with their respective banks. NCL will not be responsible for any wrong/failed transaction.) -3-

नोटः ई-ऑक्सनमें भाग लेने से पहले बोलीकर्ता निम्नलिखित बिन्दूओं पर ध्यान दें-

Note: Before taking part in NCL's e-Auction, Bidders are to note that,

(अ) बोलीकर्ता स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५) एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर,(अधिसूचना दिनांक ११.०४.२०१६ एवं संशोधन दिनांक १२.०३.२०१६, १०.०५.२०१६, १०.०६.२०१६, २१.०७.२०१६, ११.०८.२०१६ तथा १८.११.२०१६) के सभी नियम एवं शतों से बाध्य होगा । Bidder has to abide by all terms and conditions of Special Forward e-Auction Scheme dt 31.10.2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016and amendments dt 12.04.2016,

10.05.2016, 10.06.2016, 21.07.16,11.08.2016& 18.11.2016.

(आ) बोलीकर्ता बोली लगाने से पूर्व स्वयं को ई-ऑक्सन में दिये जा रहे कोयेले की गुणवत्ता से संतुष्ट कर ले।

Before participating in e-Auction, Bidder must satisfy themselves with the quality and grade of coal being offered from a source.

(इ) FSA के तहत कोयला लेने वाले विद्युत उत्पादकों को मिलने वाली थर्ड पार्टी सैम्पलिंग की सुविधा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम सफल बोलीकर्ता को उसके लिखित अनुरोध पर दी जायेगी! ग्रेड में होने वाले किसी भी गिरावट/ सुधार के सापेक्ष डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किये जायेंगे। बार्षिक ग्रेडिंग या थर्ड पार्टी विश्लेषण के कारण किसी भी प्रकार के ग्रेड परिवर्तन होने पर कोयले का मूल्य 'ऑक्सन के समय रिजर्व मूल्य के उपर प्राप्त % लाभ' को परिवर्तित ग्रेड के रिजर्व मृल्य पर जोड कर लिया जायेगा !

Third party sampling facility currently in vogue for the FSA consumers with the Power Producers (IPP/SEB) shall be available to successful bidders under Special Forward e-Auction, if requested in writing to the supplying coal company. Debit /credit notes shall be issued in case of grade slippage/improvement. In case of change in grade due to annual grading or analysis based on third party sampling, the actual price payable by the bidder will be computed by loading the '% increase over the reserve price of the grade for which e-Auction has been actually held on the reserve price of the analysed/changed grade.

(ई) इस नोटिस के विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के संशय होने की स्थिति मेंअंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

English version will be valid in case of any confusion in this notice.

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्युसर, फेस-१ अधिसूचना दिनांक,११.०४.२०१६, एवं संशोधन दिनांक १२.०४.२०१६, १०.०५.२०१६, १०.०६.२०१६, २१.०७.२०१६, ११.०८.२०१६ तथा १८.११.२०१६) सी.आइ.एल./ एन.सी.एल. एवं सेवा प्रदाय्कर्ता सर्व श्री एमजंक्सन सर्विसेस लिमिटेड की वेवसाइटपर उपलब्ध है ।

Apart from the above, bidders are governed by all other terms & conditions of CIL/ NCL's Special Forward e-Auction Scheme-2015 and Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers for 2016-17 dt 11.04.2016, 12.04.2016, 10.05.2016,10.06.2016, 21.07.2016, 11.08.2016& 18.11.2016. The same is available in NCL's & ServiceProvider's website i.e.www.nclcil.in&www.coaljunction.in.

For any further clarification, please contact Auctioneering Agency:

सर्वश्रीएमजंक्सनसर्विसेजलिमिटेड

M/s mJunction Services Limited:

Toll Free Helpline (for Buyers):

1800-419-20001

Customer Care Email ID (for Buyers): coaljunction@mjunction.in

फोननं/Phone No. 033 22882606, फैक्सनं /Fax No. 033-22883536

ई-मेल /E Mail address: contactus@metaljunction.com

पता/Postal address:

सर्वश्रीएमजंक्सनसर्विसेजलिमिटेड, गोदरेजवाटरसाइड, तीसरातल, टॉवर 1, प्लॉटV, ब्लॉकDP, सेक्टरV, साल्टलेक, कोलकता-700091, पश्चिमबंगाल

M/s mjunction Services Limited, Godrej Water Side, 3rd Floor, Tower 1, Plot V, Block DP, Sector V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal.

ई-ऑक्सनकाविवरणसर्वश्रीएमजंक्सनसर्विसेजलिमिटेडवएन. सी. एल. कीवेबसाईट<u>www.coaljunction.in</u>व<u>www.ncl.gov.in</u>परउपलब्धहै. Details of e-Auction are displayed on website of Auctioneering Agency, M/s mJunction Services Limited's Website <u>www.coaljunction.in</u> Details are also displayed on NCL website - <u>www.ncl.gov.in</u>

एन.सी.एल. प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-ऑक्सन स्कीम या इसके किसी नियम या शर्त जिसमें प्रस्तावित ऑक्सन के कोयले की मात्रा भी है को समाप्त या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

NCL management reserves the right to withdraw e-auction scheme or change/amend any of the terms and conditions including the quantity offered, without assigning any reason thereof.

> General Manager (M&S) एन.सी.एल. सिंगरौली

NCL, Singrauli